



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

अवैध पटाखो के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद सीतापुर में अपराध नियंत्रण एवम् अपराध को ही अपनी आय का स्रोत मान कर आपराधिक कृत्य करने वाले अपराधियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

दिये गये निर्देश के क्रम में दिनांक 10.11.2020 को थाना सिधौली की पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध पटाखो के साथ गुड्डू पुत्र हामिद अली निवासी ग्राम बिलरिया थाना सिधौली जनपद सीतापुर को ग्राम बिलरिया से गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से मौके से 434 (चार सौ चौंतीस) सिंघाड़ा पटाखा बरामद हुए हैं। उक्त संबंध में थाना सिधौली पर मु0अ0सं0 434/20 धारा 5/9B विस्फोटक अधिनियम थाना सिधौली सीतापुर पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 434/20 धारा 5/9B विस्फोटक अधिनियम थाना सिधौली सीतापुर

अभियुक्त का नाम व पता गुड्डू पुत्र हामिद अली निवासी ग्राम बिलरिया थाना सिधौली जनपद सीतापुर

बरामदगी विवरण- अभियुक्त के कब्जे से 434 (चार सौ चौंतीस) सिंघाड़ा पटाखा बरामद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना सिधौली-1.उ0नि0 श्री भरतलाल,2.का0 सौरभ यादव,3.का0 प्रदीप कुमार

कोतवाली सिधौली

जनपद - सीतापुर



REDMI NOTE 8
48MP QUAD CAMERA